न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कविता गोदारा, आर0ए0एस0

वाद सं :: 54/2023

जी0सी0एम0एस0नं0 :: 2023/168

1. भंवर कंवर उम्र 68 साल पत्नी श्री मनोहर सिंह
2. सम्पत कंवर उम्र 62 साल पत्नी श्री दशरथ सिंह

समस्त जाति राजपूत नि0 ग्राम राणोली तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर।

वादीगण,

बनाम

1. प्रेम कंवर पत्नी श्री भगवान सिंह जाति राजपूत नि0 ग्राम राणोली तह0 दांतारामगढ़, जिला सीकर।
2. युनाईटेड बैंक ऑफ इंड़िया शाखा पलसाना जरिये शाखा प्रबन्धक।
3. भूमिधारी तहसीलदार, दांतारामगढ़ जिला सीकर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री विजय सिंह तंवर,वकील वादीगण की ओर से।

दावा अंतर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधिनियम।

निर्णय दिनांक :: 02.12.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि वादीगण व प्रति0सं0 1 की संयुक्त शामलाती खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 776 कुल किता 11 कुल रकबा 5.36 है0 वाके ग्राम राणाली तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है, जिसमें वादिया सं0 1 का हिस्सा 1/4, वादिया सं0 2 का हिस्सा 1/4 तथा प्रति0सं0 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज है, जिस पर वादीगण उक्त भूमियों के पश्चिमी दिशा की भूमियों के हिस्सा 1/2 पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है तथा प्रति0सं0 1 पूर्वी दिशा की भूमि हिस्सा 1/2 पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। वर्णित भूमियों का बाई मिट्स एंड बाउण्डस कभी बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन मौके पर वादीगण एंव प्रति0सं0 1 ने आपसी सहमति से मौके पर अलग–अलग नींव सींव कायम कर अलग–अलग काश्त करते आ रहे है, जिसके मुताबिक वादीगण उपरोक्त कृषि भूमियों में पश्चिमी ओर का हिस्सा 1/2 पाती व कब्जे व हिस्से में आई भूमि पर पृथक से नींव–सींव कायम कर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वादीगण ने पश्चिम साईड की आयी भूमियों पर अपने रिहायशी मकानात बनाकर काबिज आबाद चले आ रहे है। वादीगण ने वाद पत्र पेश कर वाद की मद सं0 10 की उप मद क,ख अनुसार वाद डिकी करने हेतु निवेदन किया ।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

हिस्सेवार सूची का यह नम्बर शुमार मिसल मे कागजात का दावा रखता है। धारक का नाम दर्ज किया जावें, केवल जनरल सूची का नम्बर शुमार ही दर्ज किया जायें।

अभिभाषक संघ, सीकर

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 से 3 बावजूद रजिस्टर्ड तलबी के उपस्थित नहीं आए इसलिए इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई। वकील वादीगण के निवेदन पर दिनांक 24.09.25 को बहस सुनी जाकर पत्रावली में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ से बंटवारा प्रस्ताव चाहे जाने पर तहसीलदार, दांतारामगढ़ ने जरिये पत्रांक भू0अ0/25/7148 दिनांक 29.10.25 से बंटवारा प्रस्ताव भिजवाया जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एंव रिपोर्ट तहसीलदार, दांतारामगढ़ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रश्नगत भूमियां संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां है। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 से 3 बावजूद रजिस्टर्ड तलबी के उपस्थित नहीं आए इसलिए इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाकर वकील वादीगण के निवेदन पर दिनांक 24.09.25 को बहस सुनी जाकर पत्रावली में प्राथमिक डिक्री जारी की जाने पर तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा बंटवारा प्रस्ताव` जरिये पत्रांक भू0अ0/25/7148 दिनांक 29.10.25 से बंटवारा प्रस्ताव भिजवाया गया। बहस के दौरान वकील वादीगण द्वारा मुताबिक तहसीलदार, दांतारामगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया गया इसलिए प्रकरण में तहसीलदार, दांतारामगढ़ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री जारी किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया जाकर आराजी कृषि भूमि ख0नं0 ख0नं0 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 776 कुल किता 11 कुल रकबा 5.36 है0 वाके ग्राम राणोली तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर में निम्न प्रकार वादीगण एंव प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैः–

क.स.	नाम खातेदार	ख0 नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	प्रेम कंवर पत्नी भगवान सिंह हिस्सा संपूर्ण राहिन द सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक सीकर शाखा रानोली	765 766 767 768 769/1 770	0.02 0.06 0.07 0.01 1.39 1.13		
		किता 6	2.68		
2.	भंवर कंवर पत्नी मनोहर सिंह हिस्सा संपूर्ण राहिन यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	774/1 769/2 776/2	0.52 0.18 0.58		
		किता 03	1.28		
3.	संपत कंवर पत्नी दशरथ सिंह हि0 संपूर्ण जाति राजपूत राहिन यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	774/2 776/1	0.50 0.78		
		किता 2	1.28		

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

फ़ेहरिस्तवार सूची का यह नम्बर शुमार मिसल मे कागजात का दावा रखता है। धारक का नाम दर्ज किया जावें, ... का नम्बर शुमार ही दर्ज किया जायें।

4.	भंवर कंवर पत्नी मनोहर सिंह हिस्सा 1/2 राजपूत राहिन यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया संपत कंवर पत्नी दशरथ सिंहहि0 1/2 जाति राजपूत राहिन यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	771 772 773 774/3	0.03 0.01 0.06 0.02	—	—
		किता 4	0.12		

तहसीलदार, दांतारामगढ़,सीकर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावे। तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू0अ0/25/7148 दिनांक 29.10.2025 निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील कागजात दाखिल दफतर हो।

(कविता गोदारा)
सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

निर्णय आज दिनांक 02.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
सहायक कलक्टर(मु.)सीकर